

राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी पर फावड़े से वार करने वाले पति की सजा घटाई

‘अचानक हुए झगड़े में बिना किसी पहले से बने इरादे के किया हमला हत्या की श्रेणी में नहीं आता’

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने पत्नी की हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए रिपोर्टेबल आदेश दिया है। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने साफ कहा कि अचानक हुए झगड़े में बिना किसी पहले से बने इरादे के किया गया हमला हत्या की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने दोनों अपीलों पर अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपीपिंटू उर्फ प्रवीण सिंह की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग-प्रथम से बदलकर धारा 304 भाग-द्वितीय कर दिया और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2005 को परिवादी उम्मेद सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी किरण की 8-9 साल पहले पिंटू उर्फ प्रवीण सिंह से शादी हुई थी और दो नाबालिग बच्चे थे। एक दिन वह ससुराल में

■ **राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने यह भी ध्यान में रखा कि बच्चों ने अपनी मां को खो दिया है, यदि पिता को लंबी सजा होती है तो वे पिता के प्यार और सुरक्षा से भी वंचित हो जाएंगे**

■ **कोर्ट ने आरोपी पिंटू उर्फ प्रवीण सिंह की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग-प्रथम से बदलकर धारा 304 भाग-द्वितीय कर दिया और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई**

गंभीर रूप से घायल और बेहोश हालत में मिली। पूछताछ पर एक नाबालिग बच्चे ने बताया कि पिता ने मां के सिर पर फावड़े से वार किया था। शुरू में केस धारा 307 के तहत दर्ज हुआ, लेकिन किरण की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर इसे धारा 302 में बदल दिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रतापगढ़ ने इस केस में आठ मार्च 2007 को फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 (हत्या) और धारा 498-ए

(क्रूरता) के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन धारा 304 भाग-प्रथत (मारने के इरादे से की गई गैर-इरादतन हत्या) के तहत दोषी ठहराया। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और आरोपी ने हाईकोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड का गहन अध्ययन किया। कोर्ट ने पाया कि यह घटना पति-पत्नी के बीच अचानक हुए सामान्य विवाद का नतीजा थी।

कोई पूर्व नियोजन नहीं था, और न ही आरोपी कोई हथियार लेकर आया था। उसने मौके पर पड़े फावड़े से केवल एक ही वार किया और उसके बाद भी उसने अपनी हावी होने की स्थिति का फायदा उठाते हुए कोई दूसरा वार नहीं किया। कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि हत्या के लिए इरादा जरूरी है, जो इस मामले में मौजूद नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर जैसे नाजुक अंग पर फावड़े जैसे भारी हथियार से वार करने पर किसी भी समझदार व्यक्ति को इस बात का स्पष्ट ज्ञान होता है कि इससे मौत होने की प्रबल संभावना है। इसलिए कोर्ट ने इसे मौत हो सकती है की श्रेणी में रखते हुए धारा 304 भाग-द्वितीय (बिना इरादे के गैर-इरादतन हत्या) का मामला माना।

कोर्ट ने मौत हो सकती है और मौत होने की संभावना के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए इसे धारा 304 पार्ट-द्वितीय के अंतर्गत मारने के इरादे के बिना गैर-इरादतन हत्या का

मामला माना। धारा 498ए के तहत क्रूरता पर कोर्ट ने माना कि यह एक ही दिन की घटना थी और निरंतर उत्पीड़न का कोई ठोस साक्ष्य नहीं था, इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा इस धारा में बरी करने का फैसला बिल्कुल सही था। सजा तय करते समय खंडपीठ ने दंड के निवारक, प्रतिशोधात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की। कोर्ट ने जोर दिया कि न्याय सिर्फ पीड़ित के लिए नहीं, बल्कि आरोपी के सुधार और समाज के हित के लिए भी होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि बच्चों ने अपनी मां को खो दिया है, यदि पिता को लंबी सजा होती है तो वे पिता के प्यार और सुरक्षा से भी वंचित हो जाएंगे। इन सभी मानवीय एवं कानूनी पहलुओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और आरोपी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

शाहपुरा की बाल पर्यावरण योद्धा श्रेया कुमावत पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी

शाहपुरा, (निसं)। शाहपुरा की लाडली बेटी और “ग्रीन लिटिल बेबी” के नाम से प्रसिद्ध बाल पर्यावरण योद्धा श्रेया कुमावत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने समर्पण, मेहनत और जुनून से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनके कार्यों की गूंज अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। इन्हीं उल्लेखनीय और प्रेरणादायक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अब श्रेया कुमावत के जीवन और उनके पर्यावरणीय कार्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। यह फिल्म समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नई पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य करेगी।

झारखंड के धनबाद फिल्म सिटी से फिल्म निर्माता-निर्देशक शशुन्ध महतो एवं उनकी टीम शीघ्र ही शाहपुरा पहुंचकर फिल्म की शूटिंग प्रारंभ करेगी। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। श्रेया कुमावत पर बनने वाली यह फिल्म न केवल उनके उत्कृष्ट कार्यों को उजागर करेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र और राज्य का नाम भी रोशन करेगी तथा देश की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा प्रदान करेगी।

प्रकाश चंद्र रेगर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहपुरा ने इस गौरवपूर्ण पहल में सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी सहभागिता निभाते हुए शहर की इस



श्रेया कुमावत

■ **“ग्रीन लिटिल बेबी” के नाम से प्रसिद्ध बाल पर्यावरण योद्धा श्रेया कुमावत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है**

■ **श्रेया कुमावत के कार्यों की गूंज अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है**

प्रतिभाशाली बेटी को सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि यह

प्रेरणादायक संदेश देश-विदेश तक पहुंच सके।

लापता व्यक्ति का शव नाले में मिला

बीकानेर, (निसं)। शहर के अंबेडकर सर्किल के पास बिजली विभाग कार्यालय के नजदीक बुधवार सुबह नाले में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोबीएम अस्पताल के मुद्दीघर में रखवाया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैफिक थाने के मोड़ के सामने सुबह नाले में एक शव पड़ा दिखाई दिया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शव करीब 5 से 6 दिन पुराना होने की आशंका है। इतने दिनों तक नाले में डूबे रहने के कारण शव पूरी तरह सड़-गल चुका था। हालत इतनी खराब थी कि शरीर के कई

अंग गायब थे। सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की निगरानी में काफी मशक्कत के बाद शव को नाले से बाहर निकाला जा सका। दुर्गंध और गंदे पानी के कारण शव को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सूरतगढ़ निवासी पेमाराम पुत्र लखूराम के रूप में हुई है।

अंग गायब थे। सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की निगरानी में काफी मशक्कत के बाद शव को नाले से बाहर निकाला जा सका। दुर्गंध और गंदे पानी के कारण शव को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सूरतगढ़ निवासी पेमाराम पुत्र लखूराम के रूप में हुई है।

ग्रामीणों के अनुसार 29 लाख रुपए के बजट में घंटिया सामग्री का इस्तेमाल

कर ऐसी सड़क बनाई गई है जो जल्द ही पूरी तरह उखड़कर साफ हो जाएगी। उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों से तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

इधर घंटिया निर्माण को लेकर एक्सईएम अचल गुप्ता का कहना है कि डामर की पतली परत उखड़ने का जो वीडियो आया है, वह श्मशान घाट के अंदर का हिस्सा है। यह क्षेत्र मूल 2 किलोमीटर के टेंडर में शामिल नहीं था। ग्रामीणों की बार-बार मांग पर हमने श्मशाना तक डामर सड़क बनवाई थी। बाकी जो एरिया टेंडर में है वहां ऐसी स्थिति नहीं है।

“बापजी : महाराजा आफ मारवाड़ जोधपुर : दी किंग हू वुड बी मैन” पुस्तक का लोकार्पण

जोधपुर, (निसं)। गज सिंह की असाधारण व उल्लेखनीय जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक “बापजी : महाराजा आफ मारवाड़ जोधपुर : दी किंग हू वुड बी मैन” का मुंबई नरीमन प्वाइंट स्थित देश के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र नेशनल सेंटर फॉर दी परफॉर्मिंग आर्ट्स में गज सिंह द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर महाराजी हेमलता राज्ये जी भी उपस्थित थी।

यह पुस्तक लेखक अमननाथ व योगी वैद्य द्वारा लिखी गई है। लोकार्पण समारोह के अवसर पर गज सिंह ने कहा कि उनके बारे में पुस्तक लेखन का लेखक अमननाथ व योगी वैद्य द्वारा अच्छा व सराहनीय प्रयोग किया गया और उनकी जीवन यात्रा के बारे में पुस्तक लिखी गयी भी है। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में अपनी विरासत को संभालना और उसे दुनिया भर में पहचान देना “द किंग हू वुड बी मैन” की सच्ची कहानी है। पुस्तक में उनके व राजपरिवार के बारे में लिखा गया है। अनेक दुर्लभ चित्र इसमें लगाए गए हैं जो पहले कही प्रकाशित नहीं हुए। अनेक नए चित्र भी शामिल किए गए हैं। उनके जन्म से लेकर अब तक की जीवन यात्रा के बारे में इसमें बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया है। राज परिवार के बारे में



मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर दी परफॉर्मिंग आर्ट्स में पुस्तक का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ।

उल्लेख किया गया है। राज परिवार का जनता से सीधे जुड़ाव का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक पढ़ने योग्य व सांस्कृतिक महत्व की पुस्तक है। उन्होंने कहा कि जोधपुर राज परिवार की विरासत का प्रभाव रहा है। इस विरासत में एक आदमी की छवि बसी हुई है और वह है बाप जी। जो चार वर्ष की उम्र में ही राजा बने फिर सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से मारवाड़ की आत्मा से गहराई से जुड़ गए। मारवाड व

जोधपुर के लोगों का उनके प्रति सम्मान ही उनकी पूंजी है, जिसे हमेशा संजोये रखे हुए हैं। बदलाव के बावजूद जोधपुर के लोगों का प्यार व सम्मान बना हुआ। उन्होंने कहा आप जो भी कार्य करें उसे पूरे समर्पण के साथ करें, अपनी विरासत को बचाकर रखें, इस समाज में लीडरशिप की भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि उनके जीवन को अच्छे तरीके से आकार देने, कार्य करने में, सांस्कृतिक मूल्यों में दादा उम्मेद सिंहजी, पिता

हनवन्त सिंहजी, मां कृष्णा कुमारी जी का काफी प्रभाव रहा। साथ ही बहिने शैलेश कुमारी व चंद्रेश कुमारी, पत्नी महारानी हेमलता राज्ये, पुत्र शिवराज सिंह, पुत्री शिवरंजनी राज्ये व बहु युवराजी गायत्री राज्ये सभी का सहयोग रहा है। उन्होंने इस अवसर पर दोनों लेखकों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह को पुस्तक के लेखक अमननाथ व योगी वैद्य ने संबोधित किया और पुस्तक के प्रकाशन के संबंध

■ **गज सिंह के जीवन की उल्लेखनीय व असाधारण यात्रा पर आधारित है पुस्तक**

में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर राजस्थान के लंग बंधुओं ने “रंग-ए-भारत” राजस्थानी लोकगीतों व धुने की लोक वाद्य यंत्रों के साथ शानदार प्रस्तुतियां दीं। खड्डताल पर जाकिर खान, ढोलक पर सादिक खान, सारंगी पर आसीन खान लंगा ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के ट्रस्टी निर्मल भोगीलाल, सीईओ अविड लॉर्निंग एण्ड क्यूरेटर ऑफ द रॉयल ओपेरा हाउस मुंबई असद लालजी, मल्लिका साराभाई पब्लिशर मैमिंग पब्लिशिंग, डायरेक्टर जोधपुररिफ फेस्टिवल दिव्य भाटिया, रवेन्त साराभाई, प्रियंका राजा, डॉ. मधु भोजवानी, उज्बेकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के मानद कांसिल वियय गोवर्धन दास कलंत्री, नफीशा चिनाय, डॉ. उर्वशी, डॉ. सुजाता जादव, डॉ. रूपिन शर्मा, महेंद्र के सांधी, दुर्गा जसराम सहित कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

दूध-मावा फैक्टरी से निकलने वाले बदबूदार पानी से आमजन परेशान



घटवाड़ा में दूध-मावा फैक्टरी से निकलने वाले दुर्गन्धयुक्त पानी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

मानपुरा माचैड़ी, (निसं)। दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाइवे की घटवाड़ा पुलिया के पास गुजरी की ढाणी की ओर जा रहे आम रास्ते में पास ही स्थित एक दूध मावा फैक्टरी से निकलने वाला बदबूदार पानी जमा रहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसको लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद यादव, रामचंद्र मुडान, सीताराम यादव, आदि ने घटवाड़ा पुलिया के पास दूध

■ **दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाइवे की घटवाड़ा पुलिया के पास आम रास्ते में फैक्टरी से निकलने वाला बदबूदार पानी जमा रहता है**

मावा पनीर बनाने की एसएस नाम से एक फैक्ट्री संचालित है बताया कि यह भू राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा

नंबर 110में कृषि भूमि पर संचालित है जिसमें दुध से मावा पनीर बनाया जाता है।जिसका अपशिष्ट जल नाले में डकड़ा हो रहा है। और बदबू दे रहा है। नाले से मात्र 15 मीटर दूरी पर सरकारी स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है । जिससे नहे –मुन्ने बच्चों सहित आवागमन करने वाले ग्रामीण लोग परेशान हो रहे है। जिसकी जांच की जाकर सरकार से समस्या समाधान करवाने के लिए मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है।

अजमेर दरगाह क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद, दो युवक घायल

■ **पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने की कोशिश में विवाद हो गया था**

देर में कहासुनी बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते विवाद झगड़े में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें सैयद नदिमूल हसन और सैयद अमान चिशती घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी पुलिस जाबने के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों घायलों

दुपहिया वाहन चार्जिंग के दौरान दुकान में आग लगी

अजमेर, (निसं)। शहर के पहाड़गंज रोड स्थित सीता गौशाला के पास बुधवार को एक दुकान में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन चार्जिंग के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुकान मुजा अहमद की बताई जा रही है, जहां एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को चार्ज किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते वाहन में आग भड़क उठी। आग की लपेट उठते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और लोग तुरंत मौके पर एकत्र हो गए।

एएसआई रणवीर सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी सूझबूझ और प्रयासों के चलते दमकल के पहुंचने से पहले ही आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया।

धारदार हथियार से बड़े भाई पर हमला किया

■ **जमीनी विवाद में छोटे भाई ने हमला किया, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी**

डूंगरपुर, (निसं)। सदर थाना क्षेत्र स्थित बुवेला गांव में जमीन विवाद को लेकर एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार

बुवेला निवासी भोगीलाल पुत्र हाजा

डामोर और उसके छोटे भाई छोटेलाल

डामोर के बीच पैतृक जमीन को लेकर

लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह

विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई

छोटेलाल ने अपने बड़े भाई पर हमला

कर दिया।

घटना के समय भोगीलाल अपने

घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर

स्थित खेत पर गया था। तभी छोटेलाल

वहां पहुंचा और धारदार हथियार से

भोगीलाल के सिर के पिछले हिस्से पर

बीकानेर जिले में नहीं हुआ बजरी क्ले का रॉयल्टी ठेका, तीन बार निविदा भी जारी

बोली नहीं लगने के कारण रॉयल्टी वसूली का नया ठेका नहीं हो पाया है

■ **खान निदेशालय ने 22 जनवरी को निविदा जारी की, जिसमें रिजर्व प्राइस 181 करोड़ रुपये थी**

गई। तीनों बार बोली नहीं लगने से ठेका नहीं हुआ। बीकानेर जिले में बजरी क्ले की रॉयल्टी वसूली का वर्तमान ठेका लगभग 164.59 करोड़ रुपए में चल रहा है, जिसकी अवधि 31 मार्च की रात को 12 बजे खत्म हो गई। इसे देखते हुए अवैध परिवहन करने वाले सक्रिय हो गए हैं। बजरी के ओवरलोड ट्रक खानों से निकलकर सड़कों पर दौड़ने लगे हैं।

गौरतलब है कि जिले में बॉल क्ले, बजरी, कंकर, मुर्रम, सिलिका सैंड के 307 खनन पट्टे हैं। इन सभी खनिजों का एक ही रॉयल्टी ठेका होता है। खनि अभियंता ने चौथी बार निविदा जारी करने के लिए प्रस्ताव बनाकर निदेशालय को भेजे हैं, लेकिन इस बार रिजर्व प्राइस कम नहीं की गई है। रिजर्व प्राइस पूर्व की तरह ही 146.65 करोड़

रु. ही रखी गई है।

रॉयल्टी वसूली के लिए 25 पुलिसकर्मी, 100 बॉर्डर होमगार्ड, अतिरिक्त स्टाफ मांगा : एक अप्रैल से क्ले बजरी व अन्य खनिजों की रॉयल्टी वसूली खान विभाग को करनी होगी। इसके लिए नाके लॉगेंगे, जगह-जगह वाहनों की चेकिंग करनी होगी, अवैध खनन पर नजर रखनी होगी और रॉयल्टी वसूली का पूरा हिसाब-किताब करना होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी, स्टाफ और अधिकारियों की जरूरत होगी। इसे देखते हुए खनि अभियंता एमपी पुरोहित ने एसपी, खान निदेशक सहित अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। रॉयल्टी वसूली के लिए 25 पुलिसकर्मी, गाड़ियों सहित ड्राइवर, 100 बॉर्डर होमगार्ड मांगे हैं। उच्चाधिकारियों को अन्य कार्यालयों से अभियंता, नॉकदादर, खनि रक्षक, मंत्रालयिक कार्मेदार सहित अन्य स्टाफ प्रतिनियुक्ति या कार्य व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा है। वाहन भी मांगे गए हैं।